**न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**
**(पीठासीन अधिकारी दीपि रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)**

**अपील संख्या 2024 / 13** **दायरा दिनांक : 29.01.2024**

**उनवान**

मुकेश कुमार आत्मज दुर्गालाल, जाति कुल्मी, निवासी मूण्डला, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राजस्थान

.... अपीलांट

**बनाम**

1. विशाल आत्मज मुकेश कुमार नाबालिग जरिये वली माता कृष्णा बाई पत्नी मुकेश कुमार कुल्मी, निवासी मूण्डला हाल आजमपुर, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राजस्थान
2. मांगी लाल पिसरान दुर्गालाल, जाति कुल्मी, निवासी मूण्डला, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राजस्थान
3. भंवरबाई आत्मज दुर्गालाल जाति कुल्मी, निवासी मूण्डला, पत्नी राजाराम, जाति कुल्मी निवासी हेमड़ा, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राजस्थान
4. भगत बाई उर्फ भेरी बाई आत्मज दुर्गालाल, कुल्मी निवासी मूण्डला, पत्नी हरिशचंद्र, जाति कुल्मी, निवासी दीवलखेड़ा, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राजस्थान
5. ममताबाई आत्मज दुर्गालाल कुल्मी, निवासी मूण्डला, पत्नी रामगोपाल, जाति कुल्मी, निवासी आजमपुर, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राजस्थान
6. कमला बाई पत्नी दुर्गालाल, जाति कुल्मी, निवासी मूण्डला, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राजस्थान
7. शैलेन्द्र
8. विठ्ठल पिसरान मुकेश कुल्मी, निवासी मूण्डला, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राजस्थान
9. शाखा प्रबंधक सैन्टल बैंक ऑफ इंडिया शाखा, रायपुर
10. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार पिड़ावा, जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

**निर्णय** **दिनांक : 01.04.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 4177 / 2017 / प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 08.03.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी विशाल रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आर्डर 39 नियम 01 व 02 एवं धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया और यह कथन किया कि वाके ग्राम मूण्डला, पटवार हल्का पीवलखेड़ा, तहसील पिडावा में खाता संख्या–266 (संवत 2072–2075 की जमाबन्दी अनुसार) खसरा नम्बर 19 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 26 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 27/826 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 29 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 30 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा, खाता नम्बर 198 का खसरा नम्बर 18 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 223 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 434 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 463 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 467 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 511 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 514 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 515 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 699 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 700 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 734 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 955/222 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 457 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 461 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 512 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 513 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 699 रकबा रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 19 कुल रकबा 60 बीघा 14 बिस्वा आराजी स्थित है। जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम से खाते में दर्ज है। यह आराजी वाद मे विवादग्रस्त आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय दिनांक 08.03.2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वह ग्राम मूण्डला की जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 266 की आराजी किता 7 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा तथा खाता संख्या 198 की आराजी किता 19 रकबा 60 बीघा 14 बिस्वा भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि को रहन, बेचान, हस्तानान्तरण नहीं करें तथा न ही किसी अन्य से करावे जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय तथा विधि के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत तथा पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने से आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रहे विशाल नाबालिग की ओर से माता कृष्णाबाई को किसी भी न्यायालय ने प्राकृतिक संरक्षक एकमात्र घोषित नहीं किया है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी कृष्णाबाई को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 32 नियम 1 के तहत प्रदान नहीं की है, इसी अधिनियम के आदेश 32 नियम 3 की पालना में वाद मित्र की ओर से वाद प्रस्तुत नहीं किया है जो कानून के तहत आवश्यक है। प्रार्थी विशाल का पैतृक हक केवल पिता की अर्जित संपत्ति पर ही होता है जिसे पिता के जीवनकाल में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इस कारण अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नहीं है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस होना जब तक होना नहीं पाया जाता जब तक कि उत्तराधिकार से संबंधित विधि के तहत प्रार्थी जब तक खातेदार घोषित नहीं हो जाता जब तक उसके प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं होता है, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण के अभाव में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है, न विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अपनाये बिना अप्रार्थीगण को अस्थायी व्यादेश से पाबंद ही किया जा सकता है अन्यथा अप्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी न कि प्रार्थी को। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के लिए वाद लाने के लिए वर्तमान में खातेदार होने पर ही वाद लाया जा सकता है। उक्त वाद में वादी का एक मात्र प्राकृतिक संरक्षक कृष्णाबाई को बताया है किन्तु वाद के शीर्षक में ही प्रतिवादी नम्बर 1 को वादी का पिता होना भी बताया है, इस प्रकार जब हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 के तहत पिता भी माता के समान ही नैसर्गिक संरक्षक होता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने की कृपा करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की पालना में प्रार्थी रहे विशाल उक्त आराजी पर अपीलार्थी को दिनांक 12.07.2023 से ही काश्त करने से रोक रहा है। इस बाबत उसने थाना रायपुर तथा तहसील में भी कार्यवाही की है जिस कारण तहसील के तथा थाना के अधिकारी तथा कर्मचारी अपीलार्थी को इस स्थगन आदेश (अस्थायी निषेधाज्ञा) को दिखाकर उक्त भूमि के काश्त में व्यवधान डाल रहे हैं इस कारण अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय की अपील को प्राप्त कानूनी ज्ञान व आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करते हुए करना पडा। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विशाल ने दादा की जमीन पर जर्ये माता वाद पेश किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक आराजी पर विशाल का हक है। जबकि पिता के जीवित रहते हुए पैतृक आराजी में पुत्र को अधिकार प्राप्त नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी है जो वैधानिक है। वादग्रस्त आराजी बैंक में रहन है अस्थायी निषेधाज्ञा होने के कारण निरन्तर काश्त नहीं कर रहा है इससे परेशानी आ रही है। हम वादग्रस्त आराजी के खातेदार है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाये।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट कमं 1 ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मूण्डला की जमाबंदी सम्वत 2072–2075 की खाता संख्या 266 की किता 7 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा, खाता संख्या 198 की किता 19 रकबा 60 बीघा 14 बिस्वा भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम खाते दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है एवं शंकरलाल के फौत होने के बाद दुर्गालाल जो कि प्रार्थी का दादा है के खाते दर्ज हुई तथा दुर्गालाल के फौत होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को प्राप्त हुई। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 का जायज पुत्र है एवं वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी का हक जन्म से निहित है। प्रार्थी नाबालिक है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस है क्योंकि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 का जायज पुत्र है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी का हक वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से ही है एवं दौराने वाद वादग्रस्त आराजीयात को बेचान करने या हस्तान्तरण करने से प्रार्थी को अपूरनीय क्षति की संभावना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें तथा न ही किसी अन्य से करावें।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.03.2018 से वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी आराजी स्वीकार कर इसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिता की पुश्तैनी आराजीयात में वारिस पुत्र का जन्म से हक व हिस्सा निहित होना मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि को रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें तथा न ही किसी अन्य से करावे।

अपीलांट अप्रार्थी कमं 1 ने प्रस्तुत अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे साबित हो कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति नहीं है।

(रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत, पिता के जीवित रहते हुए पुत्र को पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है क्योंकि वह सहदायिक (Coparcener) होता है। पिता अपनी पैतृक सम्पत्ति से बिना किसी वैध कानूनी आधार के अपने पुत्र को वंचित नहीं कर सकता है। अतः प्रार्थी विशाल के पिता मुकेश की पैतृक सम्पत्ति में निहित हितों की रक्षा हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विवादित आराजी में अप्रार्थी अपीलांट के हिस्से की भूमि पर ही अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 01/04/25

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा